— 1

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -2467 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 26.03. 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर, पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 है0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–31090/2017)

सन्दर्भ :– भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून की पत्र संख्या– RO-DDN/REC/1-2014/VOL-6/1302 Dated 13-02-2025

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत, के पत्रांक– 4188/12–1 दिनांक– 18.03.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– (तीन प्रतियों में)।

भवदीय

26/3/25

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

O/C

प्राप्त किया दि 25.03.2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 4188 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 18-3- 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय – चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर, पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। **(Online Portal No –FP/UK/ROAD/31090/2017)**

संदर्भ – क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून का पत्रांक **RO-DDN/REC/1-2014/VOL-6/1302 Dated 13.02.2025**।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट के पत्रांक 269/6सी0, दिनांक 22.02.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र0सं0	प्रस्ताव में पायी गयी आपत्तियां	आपत्तियों का निराकरण
1.	The user agency shall submit status of recommendation of high powered committee.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Over-sight Committee की बैठक दिनांक 03.06.2024 को आहूत की गयी, जिसमें निम्नानुसार विचार विमर्श किया गया– ➢ पूर्व में, मार्ग के संरेखण में अधिग्रहण की जाने वाली भूमि, Right of Way (ROW) चौडाई 24 मीटर में, वृक्षों की गणना की गयी, जिसमें 1975 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, वनभूमि हस्तानान्तरण प्रकरण में प्रस्तावित किया गया था। Over-sight Committee की बैठक दिनांक 27.07.2022 में, प्रभावित वृक्षों की संख्या को कम करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में, मार्ग के संरेखण में, निर्माण कार्य से प्रभावित होने वाली, Formation width चौडाई 14 मीटर में, प्रभावित होने वाले वृक्षों की पुनः गणना की गयी, जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य से 1709 वृक्षों का प्रभावित होना पाया गया। उक्त हेतु Over-sight Committee द्वारा दिनांक 31.05.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया । ➢ Over-sight Committee द्वारा दिनांक 27.10.2023 को हुयी REC की बैठक में 3 बिन्दुओं पर मांगी गयी सूचनाओं को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में उक्त सूचनाओं को, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्रांक 42 / 12–1 दिनांक 04.07.2024 द्वारा उप वन महानिदेशक केन्द्रीय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्रेषित की गयी (छायाप्रति संलग्न) । ➢ उपरोक्तानुसार, Over-sight Committee द्वारा, विचार विमर्श कर सहमत होकर, चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया । Over-sight Committee की बैठक दिनांक 03.06.2024 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

	The DFO shall re-inspect the proposed diversion area and submit details of trees that fall under proposed road and actual number of trees to be felled.	वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के साथ दिनांक 28.02.2025 को वृक्षों की पुनः गणना की गई। 1709 प्रभावित वृक्षों में से 616 देवदार, 387 फल्याट, 246 बांज, 229 चीड़, 95 काफल तथा शेष अन्य प्रजाति के वृक्ष हैं। सूची संलग्न है।
3.	Since there are large number of Deodar trees of higher diameter classes, to be effected in the proposal, the DFO shall submit a Deodar specific plantation scheme (CA)/eco- restoration plans.	देवदार विशिष्ट वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न की जा रही है। वृक्षारोपण में न्यूनतम 50% देवदार पौध का रोपण प्रस्तावित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

पत्रांक 4188 / 12-1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि– अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त प्रस्ताव को विशेष पत्रवाहक के माध्यम से वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,अल्मोड़ा पहुँचाने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।